

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 297/एल 2015-71-00388/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़

विषय:-राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर संविदा वेतन का निर्धारण ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 297/एल 2013-71-00023/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27 जुलाई, 2013 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-1/2012/1-3, दिनांक 31.12.2012.

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 27 जुलाई, 2013 द्वारा विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए एकजाई संविदा वेतन निर्धारित किया गया है । सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की कंडिका 12 (2)(क) में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य शासन द्वारा उक्त दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए निम्नानुसार संविदा वेतन निर्धारित किया जाता है:-

क.	संविदा नियुक्ति के पद का वेतनमान		मासिक संविदा वेतन
	पुनरीक्षित बैंड	पुनरीक्षित ग्रेड वेतन	
1	2	3	4
1.	4750-7440	1300	8470
2.	4750-7440	1400	8764
3.	5200-20200	1800	9800
4.	5200-20200	1900	10612

5.	5200-20200	2200	12194
6.	5200-20200	2400	13776
7.	5200-20200	2800	15638
8.	9300-34800	4200	18900
9.	9300-34800	4300	20342
10.	9300-34800	4400	23086
11.	15600-39100	5400	29400
12.	15600-39100	6600	35280
13.	15600-39100	7600	41888

- 3/ कॉलम 4 में उल्लेखित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होंगे।  
4/ ये दरें उन संवर्गों के लिए लागू नहीं होंगी जिनके लिए वित्त विभाग की सहमति से अलग से संविदा वेतन निर्धारित किया गया है, वे दरें यथावत् रहेंगी।  
5/ ये दरें दिनांक 01.09.2015 से प्रभावशील होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस०के० चकवर्ती)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त एवं योजना विभाग

22/09/2015

पृ.क्रमांक 298/एल 2015-71-00388/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
  4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
  7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
  11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
  12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
  13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
  15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
  17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
  19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
  20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(नीरज कुमार मिश्रा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
वित्त एवं योजना विभाग